सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY
(भारत सरकार : गृह मंत्रालय) (**Government of India : Ministry of Home Affairs**)
हैदराबाद ~ **Hyderabad– 500 052**.

Inter Office Note

Sub : **Notified RRs for the post of Stenographer Grade-II- Reg**

A copy of notified Recruitment Rules for the post of Stenographer Grade-II is enclosed herewith for uploading the same in Academy website under "Recruitment Rules" column

(Dr. Nikhil J. Gupta)
Deputy Director (Estt)

AD (IT)

No. 19011/01/2009/Estt/RRs/A-5/Stenographer Grade-II Dated: 12 03.2019

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 4] नई दिल्ली, जनवरी 20—जनवरी 26, 2019, शनिवार/ पौष 30—माघ 6, 1940

No. 4] NEW DELHI, JANUARY 20—JANUARY 26, 2019, SATURDAY/PAUSHA 30— MAGHA—6, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2019

सा.का.नि.30.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल (राष्ट्रीय पुलिस अकादमी आशुलिपिक श्रेणी 3) भर्ती नियम, 1989 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में आशुलिपिक श्रेणी–2 के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, (आशुलिपिक श्रेणी–2) भर्ती नियम, 2018 है।

(ii) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध कर, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती हेतु आयु–सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक श्रेणी–2	17* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 4 (रु. 25500–81100)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सामान्य श्रेणी के सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष की आयु तक के सरकारी कर्मचारियों तथा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सरकारी सेवकों के लिए 45 वर्ष तक आयु शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1** – आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के

					लिए विहित की गयी है।) **टिप्पण 2**-रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने को कहा गया है ।

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक : – 1. सरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण। 2. निपुणता परीक्षा सन्नियम– प्रतिलेखन–10 मिनट में 80 शब्द प्रति मिनट की दर से ट्रांसक्रिप्शन–50 मिनट (अंग्रेजी), 65 मिनट (हिंदी) (कम्प्यूटर पर) **वांछनीय –** किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों में आशुलिपिक के रूप में एक वर्ष का कार्यानुभव ।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा । **टिप्पण**–कर्मचारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि तक पदमुक्त रहने से उत्पन्न रिक्तियों को नियमित आधार पर सदृश्य पद रखने वाले केंद्रीय सरकार के पदधारियों से प्रतिनियुक्ति पर भरी जा सकती है और जिसके लिए स्तम्भ–7 में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं रखते हों।

प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हैं तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे –** 1. उप निदेशक – अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक – सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी –II या श्रेणी–III – सदस्य।	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 23011/21/2018–पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 18th January, 2019

G.S.R.30.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Stenographer Grade-III Recruitment) Rules, 1989 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-II in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Stenographer Grade-II) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix .—**The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.—** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. —** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward classes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer Grade-II	17* (2018) *(Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service, Group-C, Non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100/-).	Not applicable	Age between 18-27 years. (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years of age in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1.–** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for these in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram. Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba

					District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Island or the Union Territory of Lakshadweep). **Note 2.–** The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Essential: (i) 12th class pass or equivalent from a Government recognised Board or university; and (ii) Skill test norms: Dictation: 10 Minutes. @ 80 w.p.m; Transcription: 50 minutes (English), 65 minutes (Hindi) (on computer). **Desirable:** (i) One year working experience as Stenographer in any Government Office or Public Sector Undertakings or Autonomous Body.	Not applicable	Two years for direct recruitment	By direct recruitment. **Note.–** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of Central government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruitment in column (7).

In case of recruitment by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	**(12)**	**(13)**
Not applicable	**Group 'C' Department Promotion Committee (for considering confirmation).** Deputy Director – Chairman Assistant. Director – Member Administrative Officer, Grade-II or Grade-III -Member.	Not applicable.

[F. No. 23011/21/2018-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.